05/12/23
अ० सो०

संख्या- 1556 /तेइस-7-2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊःदिनांक 05:दिसम्बर,2023

विषयःलोक निर्माण विभाग में प्रचलित - "प्रहरी" एप्लीकेशन के माध्यम से तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-122 कैम्प-प्र0अ0विकास/07(प्र0स0)/23, दिनांक 09.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रहरी शासनादेश संख्या-14/2020/879/23-7-2020-176(सा0)/06, दिनांक 25.08.2020 के अनुक्रम में निर्गत अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-113 कैम्प-प्र0अ0 विकास/03(मु0-1)/23, दिनांक 05.10.2023 को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि "लोक निर्माण विभाग में निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन "प्रहरी एप्लीकेशन" के माध्यम से किये जाने हेतु वर्तमान में शासनादेश सं0-14/2020/879/तेईस-7-2020-176(सा0)/06, दिनांक 25.08.2023 प्रभावी है। इस शासनादेश के प्रस्तर-3(1) में निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को अन्य सह-निविदादाताओं के विरूद्ध शिकायत करने एवं उसके निस्तारण की व्यवस्था दी गई है। प्रायः देखने में आ रहा है कि यह विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष आमंत्रित निविदाओं में निविदादाताओं द्वारा मशीनरी एवं तकनीकी स्टाफ आदि को आधार बनाकर, छोटी-छोटी एवं गुणवत्ताहीन शिकायतें की जाती हैं, जिनके निस्तारण में न केवल अत्यधिक समय लगता है बल्कि जनहित से जुडी हुई विभिन्न परियोनाएं विलम्बित होती है, साथ ही यह देखा गया है कि उक्त गुणवत्ताहीन शिकायतों के दृष्टिगत योग्य निविदादाता, निविदा में अयोग्य (Non Responsive) हो जाते हैं तथा निविदा में अपेक्षित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है।

3- उक्त के दृष्टिगत एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग में निविदा में मात्र निम्नांकित बिन्दुओं पर की गई गुणात्मक शिकायत को ही स्थानीय निविदा समिति / मुख्यालय स्थित प्रहरी समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगाः-

1. धरोहर धनराशि।
2. वार्षिक टर्नओवर।
3. कार्य अनुभव।

डायरी सं० 183 (प्र०प०) कैम्प प्र०अ० (विकास)
दिनांक 06-12-2023

(1) E-IN-C (RR)
(2) C.E. (EAP) / (C-Zone)
(3) S.E. N.H. Circle LKO

06/12
(अरविन्द कुमार जैन)
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि०, उ०प्र० लखनऊ

F:/amit kumar e office-go

4. निविदादाता के चालू कार्यों का विवरण।

5. टी-1/टी-2 बिडिंग डॉक्यूमेन्ट के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में पंजीकरण की अनिवार्यता।

4- यह भी व्यवस्था की जाती है कि निविदा के शेष तकनीकी बिन्दुओं पर कोई शिकायत संज्ञान में नहीं ली जाएगी। मशीनरी एवं तकनीकी स्टाफ आदि से सम्बन्धित सूचनाएं व अभिलेख प्रथम न्यूनतम निविदादाता के ही अनुबन्ध गठन के समय संज्ञान में लिये जायेंगे तथा उनके आधार पर कार्य सम्पादन के समय उनकी यथावश्यक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5- किसी भी निविदा में मानक निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों का समावेश नहीं किया जाएगा। अपवाद स्वरूप यदि किसी निविदा में कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत किसी विशेष शर्त का रखा जाना आवश्यक हो तो प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदनोपरान्त ही अपरिहार्य परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है।"

6- लोक निर्माण विभाग में 'ई-निविदा' एवं 'प्रहरी एप्लीकेशन' के प्रयोग के संबंध में शासनादेश दिनांक 25.08.2020 में उल्लिखित शेष व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(अजय चौहान)
प्रमुख सचिव।

संख्या- – 1556(1)/23-7-2023 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त आयुक्त / जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 / उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

F:/amit kumar e office-go